

## कार्यालय जिलाधिकारी इटावा

संख्या— /जि0आ0अ0—इटावा/वि0म0दु0—बलरई/2019—20/दिनांक: फरवरी, 2020  
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि विदेशी मदिरा दुकान बलरई जनपद इटावा का अन्तरिम व्यवस्थापन दैनिक आधार पर कुल 14 दिवस (दिनांक 15.02.2020 से 28.02.2020 तक) या नियमित व्यवस्थापन होने तक, इसमें से जो भी पहले हो के लिये किया जाना है। जिसकी दैनिक लाइसेंस फीस रू0 1316/— निर्धारित है। चयनित अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि अन्तरिम व्यवस्थापन अवधि के लिये जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 14.02.2020 को समय 15:00 बजे तक अपना ऑफर बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी इटावा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर आवेदको के समक्ष दिनांक 14.02.2020 को समय 16:00 बजे जिला आबकारी अधिकारी इटावा द्वारा खोले जायेंगे। दो या दो से अधिक सर्वोच्च ऑफर दाता होने की दशा में निर्धारित सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अन्तरिम व्यवस्थापन किया जायेगा। लाइसेंस फीस के भुगतान पर दुकान उक्त अवधि के लिये व्यवस्थित की जायेगी। विद्यमान नियम व शर्तें लागू होंगी।

जिला आबकारी अधिकारी  
इटावा

(जे.बी. सिंह)  
जिलाधिकारी  
इटावा

संख्या: /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- 1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद इटावा की वेब साइट पर प्रदर्शित कराये।

2. जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में सूचनापट पर चस्पा करें।

जिला आबकारी अधिकारी  
इटावा